

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:BR/ LR/ NLRMP/ F-126/Phase-II/ 106-138

दिनांक:- 22/4/16

जिला कलक्टर,
समस्त

विषय :- राजस्व नक्शों में तरमीम व कम्प्यूटर अभिलेख में
नामान्तरकरण आदिनांक करवाने बाबत।

प्रसंग :- आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग का पत्रांक 298 दिनांक
06.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव राजस्व महोदय द्वारा दिनांक 04.04.2016 को DILRMP (NLRMP) की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मण्डल द्वारा करवाए जा रहे सेग्रिगेशन एवं डिजीटाइजेशन ऑफ कैंडस्ट्रल मैप के कार्य के संबंध में निर्देशित किया कि कार्य की सफलता एवं समय पर सम्पादित करवाने के लिये खसरा नक्शों में तरमीम कार्य पूर्ण करवा कर नक्शों को आदिनांक कर संबंधित एजेसी को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है, यदि खसरा नक्शों में तरमीम कार्य पूर्ण नहीं करवाया जाता है तो उक्त कार्य में विलम्ब होने की सम्भावना रहेगी।

जमाबन्दी सेग्रिगेशन कार्य की सफलता के लिए लम्बित नामान्तरकरणों का कार्यशील राजस्व जमाबन्दियों में अमल दरामद एवं फीडिंग कार्य कराया जाना आवश्यक है। जिससे नवीनतम स्थिति का अंकन जमाबन्दी में होने के उपरान्त ही सेग्रिगेशन का कार्य हो सके तथा कम से कम भिन्नता रहे। डिजीटाइजेशन एवं जमाबन्दी सेग्रिगेशन का कार्य होने पर ही इन्टीग्रेशन की कार्यवाही हो सकेगी। अतः बैठक में दिए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(सी0आर0मीना)

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान

अजमेर

दिनांक :-

क्रमांक :- राम/सम/ 4

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव मा0 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवाल जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी, DILRMP (NLRMP), भू-प्रबंध विभाग, जयपुर।

(सी0आर0मीना)

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान

अजमेर